भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1056

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 10 फरवरी, 2025

21 माघ, 1946 (शक)

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का परिरक्षण

1056. डॉ राजकुमार सांगवान:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार बागपत जिले में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के परिरक्षण तथा उनके पर्यटन विकास के लिए कोई विशेष योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बागपत को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन मानचित्र पर शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और
(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): बागपत जिले में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित चार संरक्षित क्षेत्र अर्थात् (i) आलमगिरपुर का टीला जिसे परशुराम का खेड़ा नाम से जाना जाता है (ii) कसूरी, बामनौली का प्राचीन टीला (iii) लखा मंडप के रूप में ज्ञात टीला और (iv) सादिकपुर, सिनौली का पुरातात्विक स्थल और पुरावशेष हैं जिनका रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तथापि, इस संबंध में कोई विशेष योजना नहीं है परंतु इनका संरक्षण एवं परिरक्षण आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में जैसे पेयजल, सूचना-पट्ट, शौचालय, सुगम-पथ एवं पार्किंग जैसी पर्यटक सुविधाएं प्रदान करना, एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों के सहयोग से देश में विभिन्न पर्यटन स्थलों के संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाता है। 'अतुल्य भारत' अभियान, सेवा प्रदाओं के लिए क्षमता निर्माण, राज्य के कार्यक्रमों को सहयोग देना, स्थानीय पर्यटक सुविधाकर्ताओं को प्रशिक्षित करना आदि इसके उदाहरण हैं।

*****